रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237128
CG-DL-E-06072022-237128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/ आषाढ़ 15, 1944
No. 481] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (दुसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 19 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"19 क. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मानी जाने वाली इकाई – नियम 19 के अधीन बुलियन को अंतर्निहित संपत्ति के रूप में स्टोर करने के लिए प्राधिकृत किसी भी इकाई को बुलियन स्पॉट डिलीवरी संविदा या अंतर्हित बुलियन के साथ बुलियन निक्षेपागार रसीद को जारी करने के प्रयोजन से, जिसका बुलियन एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, - (क) "बुलियन", "बुलियन स्पॉट डिलीवरी संविदा", और "अंतर्हित बुलियन के साथ बुलियन निक्षेपागार रसीद" का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक

मामलों के विभाग की तारीख 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2957(अ) में क्रमश: नियत किया गया है ;

(ख) "बुलियन एक्सचेंज" का अर्थ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्टॉक एक्सचेंज है, जो अंतर्हित त बुलियन के साथ बुलियन स्पॉट डिलीवरी संविदा और बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन मान्यता प्राप्त है,"।

[फा. सं. के-43014(19)/1/2018-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 19, the following rule shall be inserted, namely: -

"19A. Unit deemed to be in International Financial Services Centre.- Any Unit authorised under rule 19 to store bullion as the underlying asset for the purpose of issuance of a bullion spot delivery contract or bullion depository receipt with underlying bullion that is traded in a bullion exchange shall be deemed to be in an International Financial Services Centre.

Explanation. - For the purpose of this rule, - (a) "bullion", "bullion spot delivery contract", and "bullion depository receipt with underlying bullion" shall have the same meaning as respectively assigned to them in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, No. S.O. 2957 (E) dated the 31st August, 2020 issued under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(b) "bullion exchange" means a stock exchange in an International Financial Services Centre, recognised under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) in respect of bullion spot delivering contract and bullion depository receipt with underlying bullion.".

[F. No. K-43014(19)/1/2018-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended vide notification number G.S.R. 288 (E), dated the 8th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.06 22:46:52 +05'30'